

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का समर्थन किया

संदर्भ

- भारत ने संघर्ष की स्थितियों में स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रमुख विशेषताएँ

- शांति सैनिकों की सुरक्षा:** शांति सैनिकों को गैर-राज्यीय तत्वों, सशस्त्र समूहों, आतंकवादियों और जटिल खतरों का सामना करना पड़ता है।
 - भारत शांति सैनिकों की सुरक्षा के महत्व पर बल देता है तथा उनके विरुद्ध अपराधों के लिए न्याय की माँग करता है।
- आधुनिकीकरण:** शांति स्थापना अभियानों में उन्नत निगरानी, संचार और डेटा विश्लेषण को एकीकृत करने की वकालत।
 - भारत आधुनिक शांति स्थापना की माँगों को पूरा करने के लिए अपने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (CUNPK) के माध्यम से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
- वित्तपोषण:** शांति स्थापना मिशनों के लिए पर्याप्त वित्तपोषण और संसाधन की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिसमें जनादेश के अनुरूप संसाधन उपलब्ध हों।
- अधिदेश निर्माण में समावेशन:** नई वास्तविकताओं के अनुरूप संचालन को अनुकूलित करने के लिए अधिदेश निर्माण प्रक्रिया में सैन्य योगदान देने वाले देशों को शामिल करने का आह्वान किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एक है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
- इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के एक भाग के रूप में की गई थी और इसमें 15 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें वीटो शक्ति वाले पाँच स्थायी सदस्य

- चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका - और महासभा द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए दस गैर-स्थायी सदस्य शामिल हैं।

- इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता

- वर्तमान संरचना:** सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना में प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कम है तथा उनका प्रतिनिधित्व नहीं है।
- संघर्षों से निपटने में असमर्थता:** परिषद की वर्तमान संरचना ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से प्रभावी ढंग से निपटने में महत्वपूर्ण सीमाएँ प्रदर्शित की हैं। इससे इसकी विश्वसनीयता कम हुई है तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के इसके मूल उद्देश्य में बाधा पहुँची है।
- विश्व व्यवस्था में परिवर्तन:** 1945 के बाद से विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और स्थायी सदस्यता में नई वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है।
- वीटो शक्ति:** वर्तमान में, केवल पाँच स्थायी सदस्यों के पास ही वीटो शक्ति है और इसके प्रयोग से यूक्रेन और गाजा जैसे वैश्विक चुनौतियों और संघर्षों से निपटने के लिए परिषद में कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हुई है।
 - परिषद के शेष 10 राष्ट्र दो वर्ष के कार्यकाल के लिए गैर-स्थायी सदस्य के रूप में चुने जाते हैं और उनके पास वीटो शक्तियाँ नहीं होती हैं।
- वैधता:** पाँचों स्थायी सदस्यों के पास मौजूद असंगत शक्ति, विशेषकर उनकी वीटो शक्ति, अनुचितता और वैधता की कमी की धारणा को जन्म देती है।

भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए?

- वैश्विक जनसंख्या और प्रतिनिधित्व:** भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है, जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 18% हिस्सा है।
 - इस तरह का जनसांख्यिकीय महत्व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे वैश्विक निर्णय लेने वाले निकायों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है।

- **आर्थिक महाशक्ति:** भारत एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है, जो सकल घेरलू उत्पाद (नॉमिनल) और सकल घेरलू उत्पाद (PPP) के आधार पर शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है।
 - इसकी आर्थिक ताकत वैश्विक स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिदेश के अनुरूप है।
- **शांति स्थापना के प्रति प्रतिबद्धता:** भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **सामरिक महत्व:** भारत दक्षिण एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक स्थिति रखता है।
 - इसका प्रभाव क्षेत्रीय सीमाओं से परे तक फैला हुआ है, जिससे यह आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा जैसी वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण बन गया है।
- **लोकतांत्रिक मूल्य:** विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत बहुलवाद, सहिष्णुता और समावेशिता के सिद्धांतों को कायम रखता है, जो संयुक्त राष्ट्र के चरित्र के मूल में हैं।
- **सदस्य देशों से समर्थन:** भारत को विभिन्न क्षेत्रों के प्रभावशाली देशों सहित संयुक्त राष्ट्र के अनेक सदस्य देशों से व्यापक समर्थन प्राप्त है।
 - यह समर्थन भारत की वैश्विक भूमिका तथा वैश्विक संकटों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्षमता बढ़ाने में इसके संभावित योगदान की मान्यता को दर्शाता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लागू करने की सीमाएँ

- **स्थायी सदस्यों की बीटो शक्ति:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना या कार्य पद्धति में किसी भी सुधार के लिए पांच स्थायी सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

- इन देशों के हित अलग-अलग हैं और वे ऐसे परिवर्तनों का समर्थन करने में अनिच्छुक हैं जो परिषद के भीतर उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं।
- **क्षेत्रीय गतिशीलता:** क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और भू-राजनीतिक तनाव परिषद में सुधार के प्रयासों को जटिल बनाते हैं।
- **सुधार प्रक्रिया की जटिलता:** सुधारों को लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करने के लिए एक लंबी और जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसमें बड़ी संख्या में सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थन शामिल होता है, जिससे ठोस सुधारों को लागू करना मुश्किल हो जाता है।
- **चीनी विरोध:** चीन एक स्थायी सदस्य होने के कारण भारत के स्थायी सदस्य बनने के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है।

आगे की राह

- यह महत्वपूर्ण है कि स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यताएँ आज के विश्व का प्रतिनिधित्व करें, न कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विश्व का।
- 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आने वाली जटिल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में इसकी प्रासंगिकता, वैधता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार आवश्यक हैं।
- हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच ऐसे सुधारों पर सामान्य सहमति बनाना एक चुनौतीपूर्ण और सतत प्रक्रिया बनी हुई है।

Source: ET

भारत-चीन संबंधों को स्थिर करने के लिए तत्पर

संदर्भ

- भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय हेतु कार्य तंत्र (WMCC) के दौरान चीनी अधिकारियों के साथ सीमा पार सहयोग पर चर्चा की।

मुख्य विशेषताएँ

- यह बैठक द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए दोनों पक्षों के प्रयासों का हिस्सा थी।
- यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल की उस टिप्पणी के मद्देनजर आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत-चीन सहयोग आवश्यक है।
- भारत और चीन ने संबंधों को पुनः स्थापित करने के तरीकों पर विचार किया, जिसमें लोगों के बीच आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें सीधी उड़ानें एवं कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः प्रारंभ करना भी शामिल था।
- दोनों पक्षों ने संबंधों को स्थिर करने के लिए “चरण-दर-चरण” तरीके से वार्ता पुनर्स्थापित करने पर चर्चा की।

भारत-चीन संबंध (2025 संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होगे)

- पंचशील समझौता:**
 - 1954 में हस्ताक्षरित जिसमें शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व,
 - संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों पर बल दिया गया, जिसने भारत-चीन राजनयिक संबंधों की नींव रखी।
- ऐतिहासिक तनाव:** 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से तनावपूर्ण, हाल की झड़पों और अविश्वास से और गहरा गया।
 - भारत ने चीनी निवेश को प्रतिबंधित कर दिया, चीनी ऐप्स (जैसे, टिकटॉक) पर प्रतिबंध लगा दिया और चीन के लिए उड़ानें रोक दीं।
- व्यापार संबंध:** चीन 2024 में 100 बिलियन डॉलर से अधिक आयात के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर अमेरिका से आगे निकल जाएगा। तनाव के बावजूद आर्थिक संबंध बढ़ते जा रहे हैं।
- वर्तमान तंत्र:** तनाव के बावजूद, सीमा मुद्दे के समाधान के लिए विशेष प्रतिनिधि (SR) और परामर्श एवं समन्वय हेतु कार्यकारी तंत्र (WMCC) जैसे तंत्र मौजूद हैं।


हालिया घटनाक्रम:

- 2024 तक पीछे हटना: भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में सफल पीछे हटने की घोषणा की।

भारत-चीन संबंधों में चिंता के प्रमुख क्षेत्र

वर्तमान सीमा तनाव:

- अनसुलझा सीमा विवाद 2,000 मील से अधिक तक फैला हुआ है, जिसमें प्रायः झड़पें होती रहती हैं।
- डोकलाम (2017), गलवान घाटी (2020) और पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश) में हुई घटनाएँ।



सैन्य अवसंरचना:

- दोनों देशों ने तेजी से सैन्य तैनाती के लिए सड़कों, रेलमार्गों और हवाई पट्टियों के साथ सीमा को मजबूत किया है।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI):

- भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, विशेष रूप से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के संबंध में अपनी आपत्तियाँ व्यक्त की हैं, जो भारत के क्षेत्र से होकर गुजरता है।

व्यापार असंतुलन:

- यद्यपि राजनीतिक रूप से वांछनीय है, लेकिन चीन के आर्थिक प्रभाव और भारत की विदेशी निवेश की आवश्यकता के कारण व्यापार पर निर्भरता को कम करना जटिल है।

हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति:

- श्रीलंका:** हंबनटोटा बंदरगाह पर चीन की उपस्थिति और एक तेल रिफाइनरी में निवेश भारत में चिंता उत्पन्न करता है।

- **नेपाल:** बुनियादी ढाँचे में चीन का निवेश (जैसे, पोखरा हवाई अड्डा) भारत की रणनीतिक स्थिति को चुनौती देता है।
- **बांग्लादेश:** क्रण समझौतों सहित चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के क्षेत्रीय प्रभाव के लिए खतरा है।
- **म्यांमार:** चीन-म्यांमार आर्थिक गलियरे सहित म्यांमार की सेना के साथ चीन के गहरे होते संबंध भारत के पिछवाड़े में उसकी उपस्थिति को मजबूत करते हैं।

इन चिंताओं को दूर करने के लिए भारत के प्रयास

- **भारत की रक्षा साझेदारियाँ:** फ्रांस, जर्मनी, स्पेन के साथ संबंधों को मजबूत किया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में नौसैनिक गठबंधनों का विस्तार किया।
- **चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड):** चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत का अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर झुकाव।
- **समुद्री सुरक्षा:** भारत ने समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, अपनी नौसैनिक क्षमताओं का विस्तार किया है तथा अमेरिका और जापान के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत किया है।
- **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का मुकाबला करना:** भारत, चीन के BRI का मुकाबला करने के लिए ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियरे जैसी वैकल्पिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में शामिल हो गया।
- **व्यापार संबंध:** भारत चीनी वस्तुओं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता कम करना चाहता है।

आगे की राह

- **सीमा मुद्दे पर विचार:** सीमा विवादों का समाधान करना महत्वपूर्ण बना हुआ है। सैन्य और कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से निरंतर प्रयास - जैसे कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर देपसांग और डेमचोक के संबंध में हाल के घटनाक्रम - स्थिरता सुनिश्चित करने और भविष्य में तनाव बढ़ने से रोकने के लिए आवश्यक हैं।

- **राजनीतिक संपर्क:** खुला और रचनात्मक संवाद कायम रखना महत्वपूर्ण है। भारत को द्विपक्षीय संचार तंत्र को मजबूत करना चाहिए तथा आपसी समझ और रणनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और अन्य जैसे क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए।

Source: IE

GST व्यवस्था के लिए लोक लेखा समिति की सिफारिशें

समाचार में

- लोक लेखा समिति (PAC) ने अपनी 19वीं रिपोर्ट में एक सरलीकृत वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था की सिफारिश की है।

वस्तु एवं सेवा कर

- भारत में वस्तु एवं सेवा कर का विचार प्रथम बार अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था।
- दिसंबर 2014 में संविधान (122वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया, जो 2015 में पारित हुआ और 2016 में 101वें संविधान संशोधन के रूप में अनुमोदित हुआ, जिससे GST का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- GST को आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो भारत के कर सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम था।
- यह गंतव्य-आधारित उपभोग कर है, जो विनिर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक सभी चरणों पर लगाया जाता है, तथा इसमें पूर्ववर्ती चरणों में चुकाए गए करों का क्रेडिट भी शामिल होता है।
- कर का भार अंततः अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है, और राजस्व उपभोग के स्थान (आपूर्ति के स्थान) को नियंत्रित करने वाले प्राधिकरण को आवंटित किया जाता है।

उद्देश्य

- GST का उद्देश्य कई केन्द्रीय और राज्य करों को एक में मिलाकर भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाना, व्यापक प्रभाव को कम करना और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना है।
- यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, कर आधार को व्यापक बनाता है, व्यापार की मात्रा बढ़ाता है, तथा कर अनुपालन में सुधार करता है।

चुनौतियाँ

- GST के कार्यान्वयन में जटिल अनुपालन आवश्यकताओं और छोटे व्यवसायों के लिए उच्च लागत सहित कई चुनौतियाँ सामने आई हैं।
- कर दरों में बार-बार परिवर्तन और विभिन्न कर स्लैबों के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- रिफंड प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के कारण नकदी की समस्या उत्पन्न होती है, तथा राज्यों में GST दरों में भिन्नता के कारण सीमा पार व्यापार जटिल हो जाता है।

नवीनतम अनुशंसाएँ

- लोक लेखा समिति (PAC) ने वित्त मंत्रालय से अनावश्यक जटिलताओं को दूर करने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए वर्तमान ढाँचे की समीक्षा करने का आग्रह किया।
- समिति ने बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया में समस्याओं के बारे में चिंता व्यक्त की, जो संभावित रूप से “एक राष्ट्र एक कर” दृष्टिकोण में बाधा उत्पन्न कर रही है।
- अन्य सिफारिशें
 - फॉर्मों को समेकित करके प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, फाइलिंग की आवृत्ति को कम करना, तथा छोटे व्यवसायों के लिए स्तरीय अनुपालन दृष्टिकोण प्रस्तुत करना।
 - पोर्टल के उपयोग को आसान बनाना तथा फाइलिंग के दौरान करदाताओं को स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना।

- अनुपालन में अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए कठोर आपराधिक दंड के मुद्दे पर ध्यान देना, विशेष रूप से ईमानदार करदाताओं के लिए।
- अप्रत्यक्ष कर हिस्सेदारी में गिरावट को संबोधित करते हुए GST राजस्व का सटीक अनुमान लगाने के लिए डेटा एनालिटिक्स और AI उपकरणों का उपयोग करना।
- स्पष्ट समय-सीमा, नियमित अद्यतन और समर्पित शिकायत निवारण तंत्र के साथ अधिक कुशल रिफंड प्रणाली को लागू करना।
- कम आवृत्ति और आसान ऑनलाइन रिपोर्टिंग के साथ रिटर्न फाइलिंग और रिफंड प्रसंस्करण को स्वचालित करके MSMEs के लिए GST अनुपालन को सरल बनाना।

Source :TH

सरकार ने डीपफेक पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की

संदर्भ

- हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें डीपफेक तकनीक से जुड़ी बढ़ती चिंताओं पर चर्चा की गई।
- इसमें डीपफेक द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से गलत सूचना, गोपनीयता के उल्लंघन और दुर्भावनापूर्ण उपयोग के संदर्भ में, साथ ही इन जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें भी प्रस्तावित की गई हैं।

डीपफेक टेक्नोलॉजी के बारे में

- ‘डीपफेक’ शब्द की उत्पत्ति ‘डीप लर्निंग’ से हुई है और ‘फेक’ का तात्पर्य AI द्वारा उत्पन्न सिंथेटिक मीडिया से है जो वास्तविक सामग्री को गढ़े हुए, अति-यथार्थवादी समकक्षों के साथ हेरफेर करता है या प्रतिस्थापित करता है।
- डीपफेक मॉडल जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क (GAN) का उपयोग करते हैं, जहाँ दो AI मॉडल - जेनरेटर और

डिस्क्रिमिनेटर - उत्पन्न सामग्री की प्रामाणिकता में सुधार करने के लिए एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करते हैं।

डीपफेक का कार्य

- डेटा संग्रह:** AI को लक्ष्य व्यक्ति की वास्तविक छवियों, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग के बड़े डेटासेट पर प्रशिक्षित किया जाता है।
- फीचर लर्निंग:** डीप लर्निंग मॉडल चेहरे की संरचना, भाव और भाषण पैटर्न सीखता है।
- संश्लेषण और हेरफेर:** AI एल्गोरिदम सिंथेटिक मीडिया उत्पन्न करते हैं जो चेहरे बदल सकते हैं, भाव बदल सकते हैं, या आवाज की नकल कर सकते हैं।
- जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क (GANs) के माध्यम से परिशोधन:** उत्पन्न सामग्री को यथार्थवाद में सुधार लाने और पता लगाने योग्य विसंगतियों को कम करने के लिए परिष्कृत किया जाता है।

स्थिति रिपोर्ट में प्रमुख चिंताएँ उजागर की गईं

- एकसमान परिभाषा का अभाव:** हितधारकों ने 'डीपफेक' के लिए एक मानकीकृत परिभाषा के अभाव पर बल दिया, जिससे ऐसी सामग्री को प्रभावी ढंग से विनियमित करने और पता लगाने के प्रयास जटिल हो गए।
- चुनावों के दौरान महिलाओं को लक्षित करना:** डीपफेक का उपयोग महिलाओं को लक्षित करने के लिए तेजी से किया जा रहा है, विशेष रूप से राज्य चुनावों के दौरान, जिससे गोपनीयता और हानिकारक सामग्री के प्रसार के बारे में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं।

डीपफेक से जुड़ी अन्य चिंताएँ

- गलत सूचना और राजनीतिक हेरफेर:** भारत में, जहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राजनीतिक विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहाँ डीपफेक वीडियो के माध्यम से अशांति उत्पन्न करने के लिए हथियार बनाया जा सकता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा:** दुर्भावनापूर्ण अभिनेता सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करने के लिए

डीपफेक का उपयोग कर सकते हैं, जिससे गलत सूचना या यहाँ तक कि साइबर युद्ध की रणनीति बन सकती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।

- वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराध:** AI-जनरेटेड डीपफेक आवाजों का उपयोग कॉर्पोरेट अधिकारियों की नकल करने के लिए किया गया है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी हुई है।
 - भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में, ऐसे अपराध व्यवसायों और व्यक्तियों पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं।
- गोपनीयता का उल्लंघन और मानहानि:** डीपफेक का उपयोग प्रायः गैर-सहमति वाली स्पष्ट सामग्री बनाने के लिए किया जाता है, जो महिलाओं को असंगत रूप से लक्षित करता है।
- मीडिया में विश्वास को कम करना:** जब वास्तविक नकली सामग्री व्यापक रूप से प्रसारित होती है, तो इससे प्रामाणिक पत्रकारिता और साक्ष्य-आधारित रिपोर्टिंग में जनता का विश्वास समाप्त हो जाता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ प्रभावित होती हैं।

सरकार की प्रतिक्रिया और कानूनी ढाँचा

- सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000:** यह साइबर अपराधों के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है, लेकिन डीपफेक-संबंधी अपराधों से निपटने के लिए इसमें विशिष्ट प्रावधानों का अभाव है।
 - धारा 66D:** डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके पहचान की चोरी और छद्मवेश धारण करने पर दण्ड देती है।
 - धारा 67:** अश्लील सामग्री के प्रकाशन को दंडित करती है, जिसका उपयोग डीपफेक पोर्नोग्राफी के विरुद्ध किया जा सकता है।
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (PDPB) [अब डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023]:** इसका उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा के संग्रह और उपयोग को विनियमित करना है। इस अधिनियम के तहत व्यक्तिगत पहचान से जुड़े डीपफेक के दुरुपयोग को चुनौती दी जा सकती है।

- मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता (2021):** ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीपफेक सहित हानिकारक सामग्री की सक्रिय रूप से निगरानी करने और उसे हटाने का निर्देश देते हैं, ऐसा न करने पर वे आईटी अधिनियम के अंतर्गत कानूनी प्रतिरक्षा खो सकते हैं।
- तथ्य-जाँच और AI जाँच पहल:** PIB फैक्ट चेक जैसे प्लेटफॉर्म गलत सूचना फैलाने वाले डीपफेक वीडियो का सक्रिय रूप से भंडाफोड़ कर रहे हैं।
 - भारतीय स्टार्ट-अप और शोधकर्ता डीपफेक सामग्री का पता लगाने और उसे चिह्नित करने के लिए AI उपकरण विकसित कर रहे हैं।
- वैश्विक सहयोग:** भारत नीतिगत चर्चाओं और AI अनुसंधान पहलों के माध्यम से डीपफेक से निपटने के लिए वैश्विक तकनीकी फर्मों और सरकारों के साथ सहयोग कर रहा है।

विनियामक चुनौतियाँ

- मध्यस्थ दायित्व ढाँचे:** रिपोर्ट में मध्यस्थ दायित्व ढाँचे पर अत्यधिक निर्भरता के बारे में चिंता जताई गई है, जो यह निर्धारित करता है कि किस सीमा तक प्लेटफॉर्मों को सामग्री के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- पहचान में कठिनाइयाँ:** ऑडियो डीपफेक, विशेष रूप से, पहचान के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, जो उन्नत तकनीकी समाधानों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

रिपोर्ट से अनुशंसाएँ

- अनिवार्य सामग्री प्रकटीकरण:** रिपोर्ट में ऐसे विनियमों का समर्थन किया गया है, जिनमें AI-जनित सामग्री का प्रकटीकरण और लेबलिंग आवश्यक हो, ताकि पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
- दुर्भावनापूर्ण तत्वों पर ध्यान केंद्रित करना:** सौम्य या रचनात्मक अनुप्रयोगों के बजाय डीपफेक प्रौद्योगिकी के दुर्भावनापूर्ण उपयोगों को लक्षित करने पर जोर दिया गया।

- बेहतर प्रवर्तन:** नए कानून लाने के बजाय, रिपोर्ट में डीपफेक से संबंधित अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जाँच और प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की गई है।

Source: IE

भारत की जैव अर्थव्यवस्था और आगे की राह

समाचार में

- भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट ने 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य 165 बिलियन डॉलर से अधिक आंका है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.2% से अधिक है।
 - रिपोर्ट में इस क्षेत्र के लिए 2030 तक लगभग 300 बिलियन डॉलर तथा 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने के पर्याप्त अवसर पर प्रकाश डाला गया है।


जैव-अर्थव्यवस्था क्या है?

- जैव-अर्थव्यवस्था से तात्पर्य जैविक संसाधनों (पौधे, पशु और सूक्ष्मजीव) के औद्योगिक उपयोग, तथा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं की प्रतिकृति से है।
- पौधे या सूक्ष्मजीव जैसे जैव संसाधन नवीकरणीय, अपेक्षाकृत सस्ते और स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं, जबकि प्राकृतिक प्रक्रियाएँ अधिक सतत और पर्यावरण अनुकूल हैं।
- इसका एक प्रमुख उदाहरण इथेनॉल का बढ़ता उपयोग है, जो कि गन्ना या मक्का जैसी फसलों के सूक्ष्मजीवों द्वारा किण्वन के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, यह पारंपरिक रूप से हाइड्रोकार्बन से प्राप्त ईंधन के जैविक विकल्प के रूप में है।

जैव-अर्थव्यवस्था भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- आर्थिक विकास और रोजगार:**
 - 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान होने की संभावना है।
 - पिछले तीन वर्षों में जैव अर्थव्यवस्था में कंपनियों की संख्या में लगभग 90% की वृद्धि हुई है।

- जैव अर्थव्यवस्था का लगभग आधा मूल्य (लगभग 78 बिलियन डॉलर) औद्योगिक क्षेत्र में जैव ईंधन और जैव प्लास्टिक के विकास और उपयोग के लिए उत्पन्न हुआ।



- खाद्य एवं कृषि सुरक्षा:**
 - GM प्रौद्योगिकियों से उपज में 21% की वृद्धि हुई है।
 - जैवउर्वरक मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं।
 - गोल्डन राइस जैसे नवाचार सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से लड़ते हैं।
- स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच:**
 - सस्ती दवा और वैक्सीन उत्पादन (उदाहरण के लिए, CERVAVAC - HPV वैक्सीन)।
 - जीन थेरेपी में प्रगति (उदाहरणार्थ, हीमोफिलिया ए परीक्षण)।
 - भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुल वैक्सीन मात्रा का 25% आपूर्ति करता है।
- पर्यावरणीय लाभ:**
 - अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
 - बायोगैस और इथेनॉल के उपयोग से जीवाशम ईंधन पर निर्भरता कम हो जाती है।
 - जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना का समर्थन करता है (उदाहरण के लिए, TERI का ऑयलजैपर)।
- जलवायु कार्बवाई:**
 - 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है।

- जैव-आधारित विकल्पों के माध्यम से उत्सर्जन को कम करता है।

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था के लिए BioE3 प्रोत्साहन

- इस वृद्धि को गति देने के लिए, सरकार ने 2024 में BioE3 नीति प्रारंभ की - अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी।
- नीति निम्नलिखित को बढ़ावा देती है:**
 - बायो-AI हब, बायो-फाउंड्रीज और बायो-एनेबलर हब की स्थापना उन्नत प्रौद्योगिकियों, सतत जैव विनिर्माण और अखिल भारतीय कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना।
 - असम BioE3 ढाँचे को औपचारिक रूप से अपनाने वाला प्रथम राज्य बन गया, जिससे व्यापक राष्ट्रीय रोलआउट के लिए मंच तैयार हो गया।

अन्य पहल

- बायोसारथी मेंटरशिप पहल (2025):** बायोसारथी को छह महीने के समूह के रूप में डिजाइन किया गया है, जो संरचित मेंटर-मेंटी जुड़ाव की सुविधा प्रदान करता है, तथा बायोटेक क्षेत्र में उभरते उद्यमियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- मसौदा राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति (2020-25):** 2025 तक 150 बिलियन डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, अनुसंधान एवं विकास नवाचार, उद्योग प्रतिस्पर्धात्मकता और स्टार्टअप विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
- बायोसारथी मेंटरशिप पहल (2025):** भारतीय प्रवासी मेंटरों सहित विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक मेंटरशिप कार्यक्रम।
- जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC):** जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को वित्तपोषित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का इंटरफेस।
- राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन:** नैदानिक परीक्षण, बायोसिमिलर, बायोथेराप्यूटिक्स और वैक्सीन विकास को समर्थन देता है।

- पीएम-जीवन योजना: कृषि अपशिष्ट से बायोएथेनॉल और संपीड़ित बायोगैस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- सतत एवं गोवरधन योजनाएँ: ग्रामीण जैव-अर्थव्यवस्था लक्ष्यों के अनुरूप जैव-सीएनजी संयंत्रों और अपशिष्ट से ऊर्जा मॉडल को बढ़ावा देती हैं।
- वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (2023): जैव ईंधन आपूर्ति शृंखला ओं को मजबूत करने और जीवाशम ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत, अमेरिका और ब्राजील के नेतृत्व में।
- आईपी दिशा-निर्देश (2023): सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करता है।

संबोधित करने योग्य चुनौतियाँ

- प्रगति के बावजूद, भारत की जैव अर्थव्यवस्था को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है:
 - खंडित विनियमन:** एजेंसियों के बीच ओवरलैप जैव प्रौद्योगिकी अनुमोदन में देरी करता है।
 - सीमित निवेश:** उच्च जोखिम और निवेश पर लंबा रिटर्न निजी पूँजी को रोकता है।
 - IP एवं जैव-चोरी मुद्दे:** कमजोर प्रवर्तन नवाचार और स्वदेशी संरक्षण में बाधा डालता है।
 - उद्योग-अकादमिक संबंध कमजोर:** अनुसंधान के व्यावसायिक अनुवाद को सीमित करता है।
 - आयात निर्भरता:** उच्च स्तरीय उपकरणों और जैव प्रौद्योगिकी इनपुट पर।
 - कौशल की कमी:** जीनोमिक्स, बायोइन्फॉरमैटिक्स आदि में प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता।
 - सार्वजनिक धारणा:** GMOs और प्रयोगशाला में उत्पादित खाद्य पदार्थों के प्रति संदेह अभी भी उच्च स्तर पर है।
 - पर्यावरणीय जोखिम:** जैविक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से जैव विविधता और भूमि उपयोग को नुकसान हो सकता है।

आगे की राह

- नीति कार्यान्वयन और समन्वय को मजबूत करना: सभी राज्यों में BIO-E3 नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

- केंद्रीकृत समन्वय प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जैव-अर्थव्यवस्था मिशन की स्थापना करना।
- राष्ट्रीय जैव-अर्थव्यवस्था लक्ष्यों के अनुरूप राज्य-स्तरीय नीतियों को बढ़ावा देना (जैसा कि असम ने किया है)।
- निवेश एवं सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना: समर्पित जैव-अर्थव्यवस्था निवेश कोष बनाना।
 - उच्च जोखिम वाले जैव प्रौद्योगिकी उद्यमों में निजी पूँजी को आकर्षित करने के लिए कर प्रोत्साहन और जोखिम-साझाकरण मॉडल की पेशकश करना।
 - अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण और कौशल विकास में PPP मॉडल का विस्तार करना।
- विनियामक सुधारों में तेजी लाना: एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से विनियामक ढाँचे को सुव्यवस्थित करना (BioRRAP का विस्तार करना)।
 - विभिन्न एजेंसियों (DBT, FSSAI, GEAC, आदि) में जैव प्रौद्योगिकी अनुमोदन को सुसंगत बनाना।
 - तेजी से नवाचार क्रियान्वयन के लिए जैव सुरक्षा और नैतिकता समीक्षा बोर्डों में क्षमता का निर्माण करना।
- अनुसंधान, IP एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना: IP अनुमोदन में तेजी लाना तथा जैव प्रौद्योगिकी के लिए विशेष IP न्यायालयों की स्थापना करना।
 - सह-विकास मंचों के माध्यम से शिक्षा-उद्योग संबंधों को मजबूत करना।
 - सिंथेटिक जीव विज्ञान, जीन थेरेपी, जैव सूचना विज्ञान आदि में अनुप्रयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
- बायोटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर और हब का विस्तार करें: टियर 2/3 शहरों में बायो-AI हब, बायोफाउंड्री और बायो-इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित करना।
 - साझा परीक्षण प्रयोगशालाओं, पायलट-स्तरीय सुविधाओं और डेटा भंडारों में निवेश करना।

- परिशुद्ध कृषि क्षेत्रों और जैव-ओड्योगिक पार्कों को समर्थन प्रदान करना।
- स्टार्टअप्स और उद्यमियों को सशक्त बनाना:** मार्गदर्शन और वैश्विक प्रदर्शन के लिए बायोसारथी जैसी पहलों को बढ़ावा देना।
 - वित्तपोषण, इन्क्यूबेशन और प्रारंभिक चरण के विस्तार के लिए BIRAC योजनाओं को मजबूत बनाना।
 - बुनियादी स्तर पर जैव-उद्यमिता और महिलाओं के नेतृत्व वाले जैव-प्रौद्योगिकी उद्यमों को प्रोत्साहित करना।
- कौशल एवं शिक्षा में निवेश करना:** विश्वविद्यालयों और कौशल विकास मिशनों में जैव-अर्थव्यवस्था पाठ्यक्रम को एकीकृत करें।
 - जीनोमिक्स, आणविक जीव विज्ञान और जैव-विनिर्माण में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना।
- वैश्विक सहयोग को बढ़ाना:** यूरोपीय संघ, जापान, अमेरिका जैसे जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी देशों के साथ अनुसंधान एवं विकास साझेदारी बनाना।
 - ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और बन हेल्थ प्लेटफॉर्म जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का नेतृत्व करना।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

बेडमैप3

समाचार में

- वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के नीचे के भूदृश्य का अब तक का सबसे विस्तृत मानचित्र तैयार किया है, जिसे बेडमैप 3 कहा गया है।

बेडमैप3

- यह पिछले बेडमैप2 डेटासेट का विस्तार करता है।
- इसमें 84 नए एयरो-भूभौतिकीय सर्वेक्षणों, 15 डेटा स्रोतों, 52 मिलियन अतिरिक्त डेटा बिंदुओं और 1.9 मिलियन लाइन-किमी मापों से प्राप्त डेटा शामिल हैं।

- अंतरालों की पूर्ति: यह ज्ञान के प्रमुख अंतरालों को भरता है, जिसमें पर्वत शृंखलाओं, पूर्वी अंटार्कटिका के गहरे आंतरिक भाग, तथा पश्चिमी अंटार्कटिका और अंटार्कटिक प्रायद्वीप के समुद्रतटों के बारे में जानकारी शामिल है।

महत्त्व

- बेडमैप3 अंटार्कटिका के उप-हिमनदीय परिदृश्य और बर्फ वितरण का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है, तथा महाद्वीप के विकास और बर्फ चादर मॉडलिंग के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- इससे यह अध्ययन करने में सहायता मिलेगी कि बर्फ की चादर आधारशिला के साथ किस प्रकार अंतःक्रिया करती है तथा वैश्विक तापमान में वृद्धि जारी रहने पर इसका व्यवहार कैसा होगा, जिससे वैज्ञानिकों को भविष्य में बर्फ के नुकसान तथा समुद्र-स्तर में वृद्धि का अनुमान लगाने में सहायता मिलेगी।

क्या आप जानते हैं?

- अंटार्कटिका एक महाद्वीप है. यह पृथ्वी का पाँचवाँ सबसे बड़ा महाद्वीप है और लगभग पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को कवर करता है।
- अंटार्कटिका में कोई पेड़ या झाड़ियाँ नहीं हैं। केवल लाइकेन, काई और शैवाल ही ऐसे पौधे हैं जो अत्यधिक ठंड में जीवित रह सकते हैं।
- अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ठंडा महाद्वीप है।

Source :TH

विशेषाधिकार प्रस्ताव

समाचार में

- एक विपक्षी नेता ने ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को मनरेगा निधि के तुलनात्मक आवंटन के संबंध में गलत बयान दिया है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव

- विशेषाधिकार प्रस्ताव तब पेश किया जाता है जब संसद सदस्य (एमपी) का मानना है कि संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
- यह किसी हाल की घटना से संबंधित होना चाहिए तथा सदन के हस्तक्षेप की आवश्यकता होनी चाहिए।
- प्रस्ताव को अध्यक्ष (लोकसभा) या सभापति (राज्यसभा) द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।
- यदि मामला स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है, जो:
 - मामले की जाँच करती है।
 - गवाहों या दस्तावेजों को तलब कर सकते हैं।
 - एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- इसके बाद सदन समिति की सिफारिशों पर विचार करता है, तथा केवल अति गंभीर मामलों में ही दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

सदन की अवमानना से भेद

- विशेषाधिकार का उल्लंघन:** इसमें सदन या उसके सदस्यों के विशेष अधिकारों का उल्लंघन शामिल है।
- सदन की अवमानना:** कोई भी कार्य जो सदन के कामकाज में बाधा डालता है, भले ही किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का उल्लंघन न हुआ हो।

संसदीय विशेषाधिकार

- संसदीय विशेषाधिकार संसद और उसके सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ हैं, जो उन्हें स्वतंत्र रूप से और प्रभावी ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाती हैं।

संवैधानिक समर्थन

- अनुच्छेद 105:** संसद एवं उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 122:** न्यायालयों को संसदीय कार्यवाही की वैधता की जाँच करने से रोकता है।

प्रमुख विशेषताएं

- सदन के अन्दर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (पूर्ण नहीं; अनुच्छेद 121 के तहत न्यायिक आचरण जैसे मामलों में प्रतिबंधित)।

- सदन या उसकी समितियों में कही गई किसी बात या डाले गए किसी मत के लिए कानूनी कार्रवाई से उन्मुक्ति।
- सिविल मामलों में सत्र के दौरान तथा सत्र से 40 दिन पहले और बाद में गिरफ्तारी से संरक्षण।
- आपराधिक मामलों में कोई छूट नहीं।
- संसद अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को संसद परिसर में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती।

Source :TH

समग्र शिक्षा अभियान(SSA)

समाचार में

- संसद की एक स्थायी समिति ने शिक्षा मंत्रालय से समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि जारी न करने के संबंध में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु के साथ विवाद को सुलझाने का आग्रह किया है।

परिचय

- यह सिफारिश केंद्र और तमिलनाडु के बीच SSA फंड रोकने को लेकर टकराव के बीच आई है, क्योंकि राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तीन-भाषा फार्मूले को लागू करने और PM-SHRI स्कूलों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है।

समग्र शिक्षा योजना

- इसका क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जा रहा है।
 - यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक समग्र स्कूली शिक्षा प्रदान करना है।
- यह विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विविध शैक्षणिक क्षमताओं को संबोधित करते हुए गुणवत्तापूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करता है।

विशेषताएँ

- इस योजना के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्राथमिक छात्रों के लिए निःशुल्क वर्दी और पाठ्यपुस्तकें, शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए सहायता, विशेष प्रशिक्षण और द्विभाषी शिक्षण सामग्री शामिल हैं।
- यह बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए भी धन मुहैया कराता है, जैसे स्कूल भवनों, अतिरिक्त कक्षाओं, छात्रावासों का निर्माण, तथा शिक्षक शिक्षा और आईसीटी हस्तक्षेपों को मजबूत करना।
- इसके अतिरिक्त, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित हाशिए पर पड़े समूहों के लिए स्कूलों और छात्रावासों की स्थापना और उन्नयन के लिए सहायता दी जाती है।

Source :TH

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना(PMMVY)

संदर्भ

- विपक्ष ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत अनिवार्य मातृत्व लाभ कम बजटीय आवंटन के कारण पर्याप्त रूप से क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं।

परिचय

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है।
 - मिशन शक्ति जिसमें PMMVY योजना शामिल है, 2022 से लागू होगी।
- पात्रता:** आर्थिक रूप से सक्षम, वंचित से लेकर गरीब महिलाएँ,
- लाभ:**
 - गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान मातृ लाभ के रूप में ₹5,000 प्रदान किए जाते हैं।

- शेष राशि (जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत) से कुल मातृत्व लाभ औसतन ₹6,000 हो जाता है।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधी मानकों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ियों के माध्यम से गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद 6 महीने तक मुफ्त भोजन मिलता है।
- मिशन शक्ति:** यदि दूसरी संतान लड़की हो तो दूसरे बच्चे के लिए 6,000 रुपये प्रदान करना, बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना।

Source: TH

सट्टेबाजी और जुआ राज्य के विषय हैं

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सट्टा और जुआ राज्य का विषय है।
 - MeitY ने वर्ष 2022-25 के बीच ऑनलाइन सट्टेबाजी/जुआ/गेमिंग वेबसाइटों से संबंधित 1410 अवरोधन निर्देश जारी किए हैं।

विनियमन

- वित्त अधिनियम 2023:** ऑनलाइन गेमिंग से शुद्ध जीत पर 30% आयकर, मूल्यांकन वर्ष 2024-25 से प्रभावी।
 - 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगेगा।
 - ऑनलाइन गेमिंग आपूर्तिकर्ताओं को IGST अधिनियम की सरलीकृत पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा।
 - GST इंटेलिजेंस मुख्यालय IGST अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अपंजीकृत प्लेटफार्मों को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकता है।
- सट्टेबाजी और जुआ में राज्य की भूमिका:** सट्टेबाजी और जुआ संविधान के अंतर्गत राज्य के विषय हैं, और संबंधित अपराधों की रोकथाम, जाँच और अभियोजन के लिए राज्य जिम्मेदार हैं।

- केन्द्र सरकार राज्यों को क्षमता निर्माण के लिए परामर्श और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **भारतीय न्याय संहिता, 2023:** अनधिकृत सद्वेबाजी और जुए पर 1-7 वर्ष के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
- **अन्य पहल:** ऑनलाइन गेमिंग के व्यासन से निपटने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्रालय की सलाह।
 - ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित विज्ञापनों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा-निर्देश, जिनमें वित्तीय जोखिम और लत के बारे में अस्वीकरण भी शामिल हैं।


Source: TH

MRI तकनीक

समाचार में

- भारत ने अपनी पहली स्वदेश निर्मित एमआरआई मशीन विकसित की है, जिसे परीक्षण के लिए दिल्ली के एम्स में स्थापित किया जाएगा।

MRI तकनीक के बारे में



- एमआरआई (मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग) एक गैर-इनवेसिव मेडिकल इमेजिंग तकनीक है जिसका उपयोग शरीर के अंदर के अंगों, ऊतकों और संरचनाओं - विशेष रूप से मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, मांसपेशियों और जोड़ों - की विस्तृत छवियाँ बनाने के लिए किया जाता है।

- एक्स-रे या सीटी स्कैन के विपरीत, एमआरआई में आयनकारी विकिरण का उपयोग नहीं होता, जिससे यह बार-बार उपयोग के लिए सुरक्षित है।

Source: LM

एबल प्राइज़

समाचार में

- जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को इस वर्ष का एबेल पुरस्कार दिया गया।
- उन्हें बीजगणितीय विश्लेषण, प्रतिनिधित्व सिद्धांत, डी-मॉड्यूल के विकास और क्रिस्टल बेस की खोज में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

परिचय

- महान नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल (1802-1829) के नाम पर, इस पुरस्कार की स्थापना नॉर्वे की संसद ने 2002 में एबेल के जन्म की 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए की थी।
- 2003 में प्रथम बार दिए जाने वाले एबेल पुरस्कार को प्राय गणित में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है।
- पुरस्कार विजेताओं का चयन अकादमी द्वारा नियुक्त समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ (IMU) और यूरोपीय गणितीय सोसायटी (EMS) के परामर्श से किया जाता है।
- पुरस्कार में नकद पुरस्कार और नॉर्वेजियन कलाकार हेनरिक हौगन द्वारा डिज़ाइन की गई एक ग्लास पट्टिका शामिल है।

Source: IE

काला सागर

संदर्भ

- रूस और यूक्रेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता के दौरान काला सागर और ऊर्जा स्थलों पर सैन्य हमले रोकने पर सहमति व्यक्त की।

काला सागर

- काला सागर दक्षिण-पूर्वी यूरोप में स्थित एक विशाल अंतर्देशीय जल निकाय है, जिसकी सीमा छह देशों से लगती है: बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की।
- यह बोस्पोरस जलडमरुमध्य, मरमारा सागर और डाडनेल्स जलडमरुमध्य के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है।
- काला सागर का गहरा जल ऑक्सीजन से रहित है और हाइड्रोजन सल्फाइड से भरपूर है, जो इसे अधिकांश समुद्री जीवन के लिए अनुपयुक्त बनाता है।

- काला सागर की ऊपरी, ऑक्सीजन-समृद्ध परतों में समुद्री जीवन मौजूद है।
- महत्व: ओडेसा (यूक्रेन), कोंस्टांटा (रोमानिया), वर्ना (बुल्गारिया) और नोवोरोसिय्स्क (रूस) जैसे बंदरगाह समुद्र से सटे देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- काला सागर मछली पकड़ने, ऊर्जा संसाधनों (प्राकृतिक गैस और तेल सहित) और शिपिंग के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- यह भूमध्य सागर तक पहुँच के लिए एक रणनीतिक नियंत्रण बिंदु के रूप में कार्य करता है और ऐतिहासिक रूप से, कई संघर्षों का स्थल रहा है।



Source: TH